

# पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना

## आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या-4685 वि० (2) दिनांक-25.06.2003 तथा अधिसूचना सं०-1802 दिनांक-23.03.2006 के आलोक में बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली' 2003 एवं बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) संशोधन नियमावली' 2006, वित्त विभाग के संकल्प सं०-7566, दिनांक-14.07.2010, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-6068, दिनांक-13.06.2013, वित्त विभाग के पत्रांक-10936 (वि०) दिनांक-27.11.2014 के आलोक में ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक-05.01.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक-112 (नि०) दिनांक-12/1/2018 से निर्गत है) के आधार पर बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त "सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2003 एवं रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना 2010" के प्रावधानों के अन्तर्गत पशुपालन निदेशालय के अधीन विभिन्न संवर्गों/पदों के विरुद्ध नियुक्त निम्नांकित कुल-06 कर्मियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5, 6 एवं 7 में अंकित तिथि के प्रभाव से क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कार्यालय का नाम	जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति की तिथि	नियुक्ति की तिथि	प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	तृतीय ए०सी०पी० की देय तिथि एवं ग्रेड वेतन	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री जयनारायण उपाध्याय, से०नि० लिपिक, विशेष उपनिदेशक(प०वि०), वृहत पशु विकास परियोजना (मु० स्तर), रोहतास भभुआ सहित	12.08.1953 31.08.2013	26.10.1973 अपराहन डेयरी 22.03.1978 पशुपालन 13.11.1981 लिपिक	प्राप्त	प्राप्त	13.11.2011 ग्रेड वेतन-4800	
2	श्री विजय कुमार, लिपिक, सहायक निदेशक (प०वि०), लघु पशु विकास परियोजना (मु० स्तर), गया-औरंगाबाद	23.09.1966 30.09.2026	10.02.1985 टंकक लिपिक वयस्क शिक्षा परियोजना 26.08.2006 पशुपालन लिपिक	26.08.2016 ग्रेड वेतन-2800	अनुमान्य नहीं	अनुमान्य नहीं	

1	2	3	4	5	6	7	8
3	श्री प्रशान्त सिन्हा, लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय, सिवान	01.10.1973 30.09.2033	01.06.1992 लिपिक सह टंकक	02.06.2014 ग्रेड वेतन-2800	अदेय	अदेय	विभागीय अधिसूचना संख्या-1172, दिनांक- 02.06.2014 के आलोक में अनुमान्य।
4	श्री पंकज कुमार, लिपिक, विशेष उपनिदेशक(प0वि0), वृहत पशु विकास परियोजना ( मु0 स्तर), मुजफ्फरपुर	05.03.1985 31.07.2045	03.09.2004 लिपिक	03.09.2014 ग्रेड वेतन-2000	अदेय	अदेय	
5	श्रीमती रेखा कुमारी, लिपिक, क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन कार्यालय, मुजफ्फरपुर	06.07.1966 31.07.2026	24.09.1996 लिपिक	प्राप्त	24.09.2016 ग्रेड वेतन-4600	अदेय	
6	श्री दिनेश दास, से0 नि0 प्रधान लिपिक, जिला पशुपालन कार्यालय कटिहार	19.05.1952 31.05.2012	21.04.1978 लिपिक	प्राप्त	प्राप्त	01.01.2009 ग्रेड वेतन-4800	

- 2- वित्त विभाग की अधिसूचना सं0 1802 दिनांक 23.03.06 में निहित प्रावधान के आलोक में उपरोक्त सभी कर्मियों का वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम 22 (i) ए (i) एवं सुसंगत प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- 3- उपरोक्त किसी भी कर्मियों के संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर संबंधित कर्मियों की ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 के लाभ की अनुमान्यता को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा एवं इसके फलस्वरूप अनुमान्यता से अधिक प्राप्त किसी भी वित्तीय लाभ की राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जायेगी।
- 4- कर्मियों को स्वीकृत ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि के पूर्व से अधिक ग्रेड वेतन /वेतनमान पाने वाले कर्मियों से अधिक्क निकासी की वसूली संबंधित कार्यालय प्रधान सुनिश्चित करेंगे।
- 5- कर्मियों के संबंध में प्रस्ताव भेजने वाले कार्यालय का नाम (जहाँ उक्त कर्मियों तत्समय पदस्थापित थे) इस विवरणी के स्तम्भ-2 में अंकित है। ऐसे कर्मियों जिनका सम्प्रति स्थानान्तरण किसी अन्य कार्यालय में हो गया है उनके संबंध में उनका कार्यालय- वर्तमान पदस्थापन कार्यालय समझा जायेगा एवं तदनुसार

make X

Q

सभी अनुवर्ती कार्रवाई उनके वर्तमान पदस्थापन के कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी। इस संबंध में अलग से शुद्धि पत्र निर्गत किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

- 6- यह आदेश ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 हेतु गठित विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक दिनांक- 05.01.2018 में लिये गये निर्णय/अनुशंसा (जो कि पशुपालन निदेशालय के ज्ञापांक-112 (नि0) दिनांक-12/1/2018 से निर्गत है) के आधार पर निर्गत की जा रही है। उल्लेखनीय है कि उक्त बैठक में पशुपालन निदेशालय में गठित ए0सी0पी0 कोषाग द्वारा विभिन्न कार्यालय से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर समीक्षोपरांत उपस्थापित किये गये विवरणी के आधार पर निर्णय/अनुशंसा की गई है।
- 7- निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित कार्यालय प्रधान अपने स्तर से सभी संबंधित कर्मियों को इस आशय की सूचना उपलब्ध कराते हुये इनकी सेवा पुस्त में इस आदेश की प्रवृष्टि निश्चित रूप से करेंगे। इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/-

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक- 7 स्था0 (7) विविध-32/2016.....145 (130)

दिनांक- .....16/01...../2018

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी/महाप्रबंधक, केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना/सभी सहायक निदेशक, कुक्कुट, क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र/चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना/विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक-सह-बुल स्टेशन, पटना/परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बाँका/सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना/सभी उप निदेशक (पशु विकास) मध्यम पशु विकास परियोजना/सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना/मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय डुमराँव, बक्सर/परियोजना पदाधिकारी, विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना/प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर/प्रबंधक, बकरी प्रजनन, मरंगा, पूर्णियाँ/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी के सभी सदस्यों/पशुपालन निदेशालय के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर को (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।